उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

सूचना / विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2025
विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किया जाना।

संख्याःपीआरपीबी–बी (आरक्षी पीएसी एवं अन्य संवर्ग) 07 / 2025 दिनांकःजनवरी 22 ,2026

उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा **उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2025** के अन्तर्गत सूचना / विज्ञप्ति दिनांकित 31–12–2025 प्रकाशित कर अभ्यर्थियों से दिनांक 31–12–2025 से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहें हैं।

उक्त सीधी भर्ती प्रकिया के अन्तर्गत कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा अधिकतम आयु सीमा में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड में उपस्थित होकर अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा रहें हैं। इस सम्बन्ध में निम्नवत विधिक स्थिति स्पष्ट की जाती हैः–

(1) उ0प्र0 पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली–2015 (यथा संशोधित) के नियम–10 में यह प्रावधान है कि 'आरक्षी के पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि, जिस कैलेण्डर वर्ष में सीधी भर्ती की रिक्तियां प्रकाशित की जाए उसकी जुलाई के प्रथम दिन पुरूष अभ्यर्थी ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो और महिला अभ्यर्थी की दशा में उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की होः

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी बोर्ड द्वारा रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाये।

2– उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश दिनांकित 05–01–2026 से उक्त सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतक आयु सीमों में सभी वर्गो के लिए अपवाद स्वरुप एक बार के लिए 03 वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार भर्ती बोर्ड द्वारा सूचना / विज्ञप्ति दिनांकित 05–01–2026 के माध्यम से यह छूट प्रदान की जा चुकी है।

3– उक्त सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांकित 25–01–1995 पुलिस एवं पी0ए0सी0 की सीधी भर्ती में होमगार्ड्स के जवानों के लिए आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करता है, जिसमें निम्नवत प्रावधान हैः–

(1) पुलिस बल में 5 प्रतिशत व पी0ए0सी0 में 5 प्रतिशत पद होम गार्ड्स के लिए सुरक्षित रखे जायें ।

(2) होम गार्ड्स के जवान उक्त भर्ती हेतु अन्यथा अर्ह हों, उनकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 25 वर्ष हो और उन्होंने कम से कम तीन वर्ष की सेवा होमगार्ड्स में पूरी कर ली हो।

उपरोक्त के आलोक में उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ की सूचना / विज्ञप्ति दिनांकित 08–01–2026 को पुनः स्पष्ट किया जाता है कि इसके बिन्दु–3 में उल्लिखित होमगार्ड्स श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षण उनके अपनी–अपनी लम्बवत श्रेणी में प्रदत्त आयु सीमा के अन्तर्गत अन्यथा अर्ह होने पर ही प्रदान किया जायेगा।

अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे नवीनतम अपडेट व अग्रेतर महत्वपूर्ण निर्देशों हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in/ का अवलोकन करते रहें।

ह0 22.1.26

अपर सचिव (भर्ती) / परीक्षा नियंत्रक,
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।